SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION
स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

Regd. Under The Indian Trust Act 1982 of the Government of India & Govt. of U.P.
Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India
Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Opp. Street No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

Ref. No:-2025/05/SFCF/106 **Date: - 24.05.2025**

अंतिम अनुस्मारक

सेवा में,

प्रो0 संगीता शुक्ला जी,

माननीय कुलपति, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

विषय : एम0एड0 शिक्षकों के भौतिक सत्यापन में केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के ही शिक्षकों के सत्यापन करते हुए शोषण किये जाने के सम्बन्ध में अंतिम अनुस्मारक।

आदरणीय महोदया,

आप जैसा की अवगत ही है की "फेडरेशन" द्वारा उपरोक्त विषयक पर अपने पत्र दिनाँक 16.04.2025 एवं 23.04.2025 के माध्यम से अवगत कराया था की केवल किस तरह से शासनादेश को गलत तरीके से लागू करते हुए केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के ही एम0एड0 शिक्षकों को भौतिक सत्यापन के नाम पर शोषित किया जा रहा है और एडेड तथा विवि0 परिसर में संचालित इन पाठ्यक्रमों में स्वघोषित नियमो को लागू किया जा रहा है। इस विषय में शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए जवाब पर भी "फेडरेशन" ने अपने पत्र दिनाँक 23.04.2025 के माध्यम से अपना जवाब दर्ज कराया जिस पर पुनः जो जवाब दिया गया वो तथ्यों को भ्रमित करते हुए दिया गया है और वह जवाब पत्र के आलोक में पूर्णतयां पृथक है।

इस विषय में आपसे "फेडरेशन" ने न्याय की अपेक्षा की थी लेकिन अभी तक कोई भी इस विषय पर सार्थक कदम नहीं उठाने से प्रतीत होता है की माननीय न्यायालय के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में न्याय मिलना संभव नहीं होगा। "फेडरेशन" इस सम्बन्ध में आपसे अंतिम प्रयास करते हुए न्याय की आशा करती है एवं पूर्ववत समस्त पत्रों को सलग्न करते हुए अनुरोध करती है की इस गलत प्रथा पर अविलम्ब रोक लगाते हुए संस्थानों का शोषण रोकने की कृपा करे।

आदर सहित।

सलग्नकः— यथोक्त कुल संख्या—1।

प्रतिलिपि :

1 — माननीय प्रति कुलपति जी, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

(नितिन यादव)	प्रो0 (डॉ0) निधि शुक्ला	प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	वरिष्ठ महासचिव

पत्र फेडरेशन की अधिकृत वेबसाइट www.sfcf.in पर SFCF Desk में भी अपलोड है। पत्र की आधिकारिक पुष्टि वेबसाइट से की जा सकती है।

Website : www.sfcf.in I Email : sfcf2023@gmail.com I Mob. 8954-89-1289, 9997-70-8995

Scanned with OKEN Scanner

SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION
स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)
Regd. Under The Indian Trust Act 1982 of the Government of India & Govt. of U.P.
Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India
Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Opp. Street No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

Ref. No:-2025/04/SFCF/102 **Date: -** 28.04.2025

URGENT/TIME BOUND MATTER

सेवा में,

1– **कुलसचिव,** चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

2– **प्रो0 राकेश शर्मा, संकायाध्यक्ष,** शिक्षा विभाग, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

विषय :– एम0एड0 शिक्षको के भौतिक सत्यापन के विषक फेडरशन के पत्र दिनाँक 23 अप्रैल 2025 के क्रम में आपके माध्यम से प्राप्त संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग के पत्र दिनाक 23 अप्रैल 2025 पर प्राप्त उत्तर पर आपत्ति के सन्दर्भ में।

महोदय,

आप कृपया जैसा की अवगत ही है की एम0एड0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित शिक्षकों के सत्यापन के संदर्भ में फेडरेशन ने माननीय कुलपति जी को पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2025 एवं 23 अप्रैल 2025 के द्वारा माननीय कुलपति जी के साथ–साथ आपको भी अवगत कराया था की शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश संख्या का अतिक्रमण करते हुए केवल किस तरह से स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षकों का ही भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। तत्क्रम में संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग के पत्र दिनाँक 23 अप्रैल 2025 के द्वारा प्राप्त जवाब पूर्णतया एकतरफा और तथ्यों को भ्रमित करते हुए दिया गया है जो की उचित नहीं है। संकायाध्यक्ष द्वारा अपने पत्र में शासनादेश के बिन्दुओ को अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट है की उक्त शासनादेश किसी भी तरह से भौतिक सत्यापन को मान्यता प्रदान नहीं करता है और सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन पूर्णतया अलग अलग बिन्दुओ को परिभाषित करते है जो की संकायाध्यक्ष द्वारा नहीं किया जा रहा है।

विवि0 की मंशा को शासनादेश का अनुपालन करने वाला समझ भी लिया जाये तो पत्र में जिस शासनादेश के बिंदु (ग) का उल्लेख किया गया है उसमे कही भी केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए ही इस सत्यापन की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है फिर केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षको का सत्यापन ही क्यों किया जा रहा है जबकि अनुदानित महाविद्यालयों (एडेड कॉलेजो) और विवि0 परिसर

28/4/25

Scanned with OKEN Scanner

में यह शासनादेश आज तक लागू नहीं किया गया। उक्तवत पत्र में कही भी उल्लेखित नहीं किया की किस नियम और किस शासनादेश के आधार पर शिक्षको के आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट संग्रहित किये जा रहे है जबकि यह पूर्णतया अनुच्छेद 21 में प्रदत्त निजता के अधिकारों का खुला उल्लंघन है।

संकायाध्यक्ष द्वारा पत्र में उल्लेखित किया गया है की "उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में जिन महाविद्यालयों/संस्थानों में बी0पी0एड0, एम0पी0एड0, एम0एड0 पाठ्यक्रम संचालित/चल रहे है तथा विवि0 द्वारा अनुमोदित प्राचार्य या निदेशक एवं शिक्षक कार्यरत है उन्ही का सत्यापन विवि0 द्वारा संपन्न कराया जाता है जबकि यह कथन पूर्णतया गलत है **आज तक एडेड कॉलेजो साथ ही विवि0 परिसर में समान व्यवस्था के अनुरूप कभी सत्यापन कराया ही नहीं गया और यह भी स्पष्ट है की एडेड कॉलेजो के साथ साथ विवि0 परिसर में भी शिक्षक मानकों के अनुरूप पूर्ण नहीं है तो कभी समान न्याय के अनुरूप उनको कॉउंसलिंग से वंचित क्यों नहीं किया गया है केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों पर ही उक्त शासनादेश का पालन कराने में इतनी सजगता आखिर क्यों की जा रही है।**

संकायाध्यक्ष द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है की विवि0 द्वारा नियमानुसार विभिन्न आचार्यो द्वारा संकायाध्यक्ष का कार्य किया जाता रहा है और फेडरेशन के द्वारा अंकित आरोप शिक्षा विभाग और विवि0 की छवि धूमिल करते है और आरोप निराधार है। आप एवं संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग अवगत हो की कोई भी कथन निराधार नहीं है। **संकायाध्यक्ष अवगत कराये की आज तक उनके अथवा किसी भी संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग के द्वारा एडेड कॉलेजो के शिक्षको और विवि0 परिसर में इस पाठ्यक्रम के शिक्षकों का उसी मापदंडो पर भौतिक सत्यापन कराया गया है जैसे की स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षको का कराया जा रहा है। संकायाध्यक्ष द्वारा कभी किसी एडेड कॉलेज अथवा विवि0 परिसर के उक्त पाठ्यक्रम को कॉउंसलिंग से शिक्षक कम होने की दशा में रोका गया है। संकायाध्यक्ष द्वारा शासनादेश स्ववित्तपोषित संस्थानों पर जितनी सजगता और रूचि के साथ लागू किया जा रहा है क्या वैसे ही एडेड और विवि0 परिसर पर लागू किया गया है। शासनादेश में सम्बंधित महाविद्यालय/संस्थान को परिभाषित किया गया ना की विशेषकर स्ववित्तपोषित संस्थान।**

संकायाध्यक्ष ने पत्र में उल्लेखित किया है की **बिंदु संख्या 3 में स्पष्ट है की उपरोक्त पूर्ति होने के उपरांत ही छात्रों के प्रवेश की अनुमति संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को दी जाएगी** तो क्या संकायाध्यक्ष द्वारा शासनादेश लागू किये जाने के बाद **आज तक कभी भी किसी एडेड कॉलेज अथवा विवि0 परिसर में प्रवेश से नियमो की पूर्ति नहीं करने पर छात्रों के प्रवेश से रोके गए है जबकि स्ववित्तपोषित संस्थानों को एक शिक्षक नहीं होने की दशा में भी छात्र आवंटन नहीं किया जाता है।**

अतः आप स्पष्ट हो की फेडरेशन किसी व्यक्तिगत व्यक्ति अथवा विवि0 पर कोई आरोप नहीं लगा रही है बल्कि व्यवस्था में जो अधिकारी है उनके द्वारा किस तरह से अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए नियमो को ताक पर रखकर केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों और उनके शिक्षको को शोषित किया जाता आ रहा है फेडरेशन द्वारा उसको परिलक्षित किया गया है। शासनादेश की आड़ में केवल और केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों और उनके शिक्षको को ही प्रताड़ित करने का काम होता आ रहा है जो की

SFCF SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

28/4/25

Scanned with OKEN Scanner

समानता और नैसर्गिक न्याय की दशा में बिल्कुल उचित नहीं है। फेडेरशन स्पष्ट करना चाहती है की स्ववित्तपोषित संस्थानों के साथ हो रहे इस भेदभाव पर संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग और विवि0 अगर न्याय और समान दृष्टिकोण नहीं अपनाते है और इस गलत तरीके से लागू शासनादेश पर विराम नहीं लगता है तो फेडरेशन इसके लिए माननीय न्यायालय की भी शरण लेगी।

आदर सहित।

प्रतिलिपि :–

1 – **माननीय कुलपति जी**, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

28/04/25

(नितिन यादव)
अध्यक्ष

Nidhi Shukla

प्रो0 (डॉ0) निधि शुक्ला
वरिष्ठ उपाध्यक्ष

प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह
महासचिव

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ
SFCF
SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

पत्र फेडरेशन की अधिकृत वेबसाइट **www.sfcf.in** पर **SFCF Desk** में भी अपलोड है।
पत्र की आधिकारिक पुष्टि वेबसाइट से की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

दिनांक : 23 अप्रैल 2025

सेवा में,

कुलसचिव,

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

विषय : संदर्भ सं० 40013825012988 (अंतरित) प्राप्त दिनांक 24/04/2025 तथा संदर्भ सं० 40013825012970 (अंतरित) प्राप्त दिनांक 24/04/2025 के संदर्भ में।

महोदय,

दिनांक 25/04/2025 को शिक्षा विभाग में प्राप्त संदर्भ सं० 40013825012988 (अंतरित) प्राप्त दिनांक 24/04/2025 तथा संदर्भ सं० 40013825012970 (अंतरित) प्राप्त दिनांक 24/04/2025 आवेदनकर्ता Self finance college federation , Regd Office 36, SDM Court Colony, Opp Street No 3, Tehsil Road, Sikandrabad, Distt. Bualandshahr 203205 के संलग्न प्रार्थना पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि

शासनादेश संख्या 5125/सत्तर–2–2005–2(166)/2002टी०सी० दिनांक 21.10.2005 में क्रम सं० 2 (क) महाविद्यालय सम्बद्धता से सम्बन्धित सभी शर्ते पूर्ण कर रहा हो।

(ख) महाविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में दिये गये सभी निर्देश/शर्ते पूर्ण कर रहा हो।

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित निर्धारित संख्या में योग्यताधारी प्राचार्य या निदेशक एवं शिक्षक कार्यरत हों तथा वे सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान के अतिरिक्त किसी अन्य महाविद्यालय/संस्थ्ज्ञान के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित न किये गये हों तथा किसी भी अन्य महाविद्यालय में कार्यरत न हों। प्राचार्य व शिक्षकों की अर्हताओं का मूल अभिलेखों से भली–भाँति सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता कया उदासीनता क्षम्य नही होगी।"

उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन हेतु जिन महाविद्यालयों/संस्थानों में B.P. Ed, M.P. Ed. And M.Ed पाठ्यक्रमों संचालित/चल रहे हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य या निदेशक एवं शिक्षक कार्यरत हैं, उन्हीं का सत्यापन विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराया जाता है। शासनादेश के क्रम संख्या 03 में स्पष्ट है कि उपरोक्त की पूर्ति होने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश की अनुमति सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान को दी जाएगी।

अनुदानित महाविद्यालयों (एडेड कॉलेजों) में प्राचार्य, शिक्षकों का चयन **उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग** तथा प्लेसमेंट, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज द्वारा किया जाता है। स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में प्राचार्य या निदेशक एवं शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त शासनादेश जारी होने की तिथि से किस अवधि तक लागू होगा, इस प्रकार की कोई समयसीमा शासनादेश में जारी नहीं की गई है। इस हेतु विश्वविद्यालय स्तर से कोई नियम लागू नहीं किया जा सकता है। अतः शासनादेश के अनुपान हेतु महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य या निदेशक एव शिक्षकों का सत्यापन विश्वविद्यालय के अनुमोदन के उपरांत किया जाता है।

उल्लेखनिय है कि संकायाध्यक्ष शिक्षा के पद पर विश्वविद्यालय नियमानुसार विभिन्न आचार्यो द्वारा संकायाध्यक्ष का कार्य किया जाता रहा है। अतः आवेदनकार्ता द्वारा इस प्रकार के आरोप संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगना निराधार है। इस प्रकार निराधार आरोप लगाना विश्वविद्यालय प्रशासन की छवी को छूमिल करना है।

धन्यवाद,

भवदीय, [signature] 23/04/25

संकायाध्यक्ष शिक्षा Head Education

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Scanned with OKEN Scanner

SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

Regd. Under The Indian Trust Act 1982 of the Government of India & Govt. of U.P.
Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India
Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Opp. Street No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

Ref. No:-2025/04/SFCF/101 O/C **Date:** - 23.04.2025

अनुस्मारक प्रथम

सेवा में,

माननीय कुलपति जी,
चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

विषय :–एम0एड0 शिक्षक सत्यापन में शासनादेश के विरुद्ध केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में शासनादेश को गलत तरिके से लागू करके भौतिक सत्यापन अनिवार्य किये जाने तथा शासनादेश संख्या 5125 (1) 70–2–2005 दिनाँक 21.10.2005 में स्ववित्तपोषित संस्थानों के ही शिक्षको के लिए भौतिक सत्यापन की व्यवस्था का उल्लेख नहीं होने पर भी फर्जी तरीके से उत्पीड़न किये जाने के संदर्भ में।

संदर्भ :– फेडरशन पत्र संख्या 2025/04/SFCF/101 दिनांक 16 अप्रैल 2025

महोदया,

आप कृपया अवगत हो की फेडरशन ने अपने पत्र दिनाँक 16 अप्रैल 2025 के माध्यम से संदर्भित प्रकरण के विषय में विस्तृत रूप से अवगत कराया था तथा 16 अप्रैल 2025 को ही पत्र आपको उपलब्ध कराते हुए इस उत्पीड़क प्रथा को रोकने का अनुरोध किया गया था लेकिन अभी तक इस पर की कार्यवाही नहीं हुई है। शासनादेश संख्या 5125 (1) 70–2–2005 दिनाँक 21.10.2005 के क्रम में विवि0 के शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही पूर्णतया शासनादेश विरुद्ध है तथा तथ्यों को भर्मित करते हुए केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षको के साथ ही की जा रही है जो की शासनादेश का स्पष्ठ उल्लंघन और शिक्षको का अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़न है। **शासनादेश जिस समय निर्गत किया गया उस समय शासन ने बी0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0 पाठ्यक्रमों में संबद्धता प्रस्तावों को पूर्ण करने के लिए नियमो को पूर्ण करने के उद्देश्य से उक्त शासनादेश जारी किया था** जिसमे उल्लेखित नियमो की पूर्ति करने के बाद छात्र संस्थानों को आवंटित किये जाने की उस समय अपेक्षा समस्त विवि0 से की गयी थी। शासनादेश जिसके आलोक में विवि0 प्रत्येक साल भौतिक सत्यापन करता आ रहा है उसके बिंदु (ग) में स्पष्ट उल्लेखित है की :–

23/4/25

Scanned with OKEN Scanner

"उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये की संबधित महाविद्यालय/संस्थान में विवि0 द्वारा अनुमोदित निर्धारित संख्या में योग्यताधारी प्राचार्य/निदेशक व शिक्षक कार्यरत हो तथा वो सम्बंधित महाविद्यालय/संस्थान के अतिरिक्त अन्य किसी महाविद्यालय/संस्थान के लिए अनुमोदित न किये गए हो तथा किसी भी अन्य महाविद्यालय में कार्यरत न हो/प्राचार्य व शिक्षको की अहर्ताओं का मूल अभिलेखों से भली–भाती सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।"

उक्त शासनादेश में कही पर भी विवि0 को यह आदेश नहीं दिए गए है की केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में कार्यरत शिक्षको के भौतिक सत्यापन को विवि0 प्रत्येक वर्ष करेगा और उनको काउन्सलिंग से पूर्व बुलाकर उनकी बैंक विवरण, पैन कार्ड, आधार कार्ड अभिलखों की जाँच करेगा। विवि0 विगत 19 वर्ष से केवल और केवल इस शासनादेश का उल्लेख करते हुए स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षको का भौतिक सत्यापन करता आ रहा है जबकि इसमें यह व्यवस्था है ही नहीं और अगर विवि0 इतनी पारदर्शी नियत का था तो विवि0 परिसर और एडेड संस्थानों में चल रहे एम0एड0 पाठ्यक्रम का भौतिक सत्यापन आज तक क्यों नहीं किया जबकि वहा नियमानुसार शिक्षक पूर्ण है नहीं है और कॉउंसलिंग में छात्र बेरोक टोक आवंटन किये जा रहे है। यहाँ अहम् तथ्य यह है की जो कमेटी बनाकर स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षको का भौतिक सत्यापन किया जाता है उसमे उन एडेड कॉलेज के शिक्षक सदस्य की भूमिका निभाते है जिनके यह खुद शिक्षक पूर्ण नहीं है और यह सब कृत्य संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग की देख रेख में प्रतिवर्ष संचालित किया जा रहा है। यह स्ववित्तपोषत संस्थानों और उनके शिक्षको का शोषण नहीं है तो क्या है ?

विवि0 शिक्षको के अनुमोदन करते समय विषय विशेषज्ञ नामित करता है जो प्राचार्य/शिक्षक के मूल अभिलेख सहित समस्त निर्धारित मानकों को साक्षात्कार के समय जाँच करते है उसके उपरांत पत्रावली विवि0 के सम्बद्धत्ता विभाग में जमा की जाती है जिसके बाद आपके अथवा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत शिक्षको का अनुमोदन पत्र निर्गत होता है। विवि0 को शिक्षको के अनुमोदन सहित मानकों की जानकारी सम्बद्धत्ता विभाग से प्राप्त की जानी चाहिए और काउन्सलिंग में सम्मलित किया जाना चाहिए जैसा की अन्य पाठ्यक्रम में किया जाता है। शासनादेश के "सत्यापन" शब्द को "भौतिक सत्यापन" में बदलना अपने अप्रत्यक्ष स्वार्थ को सिद्ध करना नहीं तो और क्या है ?

संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग की शह पर जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है वो सीधा शासनादेश और संबधित अधिकारियो द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करना है। संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग एव विवि0 प्रशासन ने कभी भी विवि0 परिसर और एडेड संस्थानों में चल रहे एम0एड0 पाठ्यक्रम में ना तो शिक्षको के भौतिक सत्यापन किये और ना ही शिक्षक कम होने पर उनको कॉउंसलिंग से रोका जो स्पष्ठ करता है की विवि0 की मंशा केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के प्रति उचित नहीं है। विवि0 के शिक्षा विभाग में कुल 03 प्रोफेसर/शिक्षक वर्तमान में है जो की मानकों से कम है लेकिन विगत वर्ष इसके बावजूद भी कॉउंसलिंग से सीट आवंटन किया जाना यह दर्शाता है की विवि0 एवं संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग समान रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते है।

23/4/25

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ
SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION
SFCF

Scanned with OKEN Scanner

महोदया, स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षको के लिए शासनादेश में भौतिक सत्यापन जैसी व्यवस्था नहीं होने पर भी सत्यापन कराया जाना वही विवि0 परिसर और एडेड संस्थानों में चल रहे एम0 एड0 पाठ्यक्रम में शिक्षको का भौतिक सत्यापन नहीं होना और शिक्षक कम होने पर भी छात्र आवंटन किया जाना इस प्रकरण को एकपक्षीय दर्शाता है। **हम आपसे न्याय और समानता की आशा करते है और साथ ही अनुरोध करते है की अविलम्ब इस सम्बन्ध में अधीनस्थों को निर्देशित करते हुए शासनादेश के विरुद्ध संचालित इस व्यवस्था को समाप्त करने के निर्देश निर्गत करने की कृपा करे। साथ ही अनुरोध है की फेडरेशन को इस आलोक में मेल आई डी sfcf2023@gmail.com पर अवगत कराने का कष्ट करे।**

सादर

सलग्नक := शासनादेश की प्रति, पूर्व प्रेषित पत्र की प्रति।

प्रतिलिपि :–

1 –माननीय **कुलाधिपति महोदया** द्वारा अपर मुख्य सचिव, राजभवन, लखनऊ।

2 –**प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग** उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3 –**कुलसचिव,** चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ। — 23/04/25

4 –**प्रो0 राकेश शर्मा, संकायाध्यक्ष,** शिक्षा विभाग, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ। — 23/04/25

(नितिन यादव)	प्रो0 (डॉ0) निधि शुक्ला	प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	महासचिव

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION SFCF

पत्र फेडरेशन की अधिकृत वेबसाइट **www.sfcf.in** पर SFCF Desk में भी अपलोड है।

पत्र की आधिकारिक पुष्टि वेबसाइट से की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2129/सत्तर-2-2005-2(166)/2005 टी०सी०

प्रेषक,

राजीव [illegible]

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति, [illegible]

समस्त राज्य विश्वविद्यालय,

उत्तर प्रदेश।

[illegible] अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 [illegible], 2005

विषय: [illegible] बी०एड० पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2665/सत्तर-2-2005-2(166)/2002 [illegible] दिनांक 12 [illegible] 2005 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो बी०एड० पाठ्यक्रम के [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] यू०जी०सी०/एन०सी०टी०ई० द्वारा [illegible] अनुमोदित [illegible] के अनुमोदन पत्र/शपथ पत्र, मूल फोटोग्राफ व किसी अन्य [illegible] आदि के सम्बन्ध में [illegible] उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

[illegible] किसी [illegible] के [illegible] पाठ्यक्रम में [illegible] के अन्तर्गत [illegible] विश्वविद्यालय [illegible] सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्था में छात्रों को प्रवेश की अनुमति देने के पूर्व [illegible] सुनिश्चित कर [illegible]

(क) [illegible] महाविद्यालय [illegible] पूर्ण कर [illegible]

(ख) महाविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में दिये गये सभी निर्देश/शर्तें पूर्ण कर रहा हो।

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित निर्धारित संख्या में [illegible] प्राचार्य या निदेशक एवं शिक्षक कार्यरत हों तथा वे सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान के अतिरिक्त किसी अन्य महाविद्यालय/संस्थान के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित न किये गये हों तथा किसी भी अन्य महाविद्यालय में कार्यरत न हों। प्राचार्य व शिक्षकों की अर्हताओं का मूल अभिलेखों से भली-भांति सत्यापन [illegible] सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता या उदासीनता क्षम्य नहीं होगी।

3- उपरोक्त की पूर्ति होने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश की अनुमति सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान को दी जायेगी।

4- कृपया उक्त निर्देशों का कठोरतापूर्वक अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा कृत कार्यवाही से श्री कुलाधिपति/शासन को भी अविलम्ब अवगत कराया जाय।

5- ये आदेश श्री कुलाधिपति के अनुमोदन के उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
सचिव।

संख्या-5125(1)/सत्तर-2-2008-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) [illegible] सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(7) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
सचिव।

SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

Regd. Under The Indian Trust Act 1982 of the Government of India & Govt. of U.P.
Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India
Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Opp. Street No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

Ref. No:-2025/04/SFCF/101 **Date: -** 16.04.2025

सेवा में,

आदरणीय कुलपति जी,

चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

विषयः– एम0एड0 पाठ्यक्रम में शिक्षको के सत्यापन के लिए शासनादेश संख्या 5125 (1) 70–2–2005 दिनाँक 21.10.2005 की आड़ में स्ववित्तपोषित संस्थानों के शोषण को रोकने एवं गलत तरीके से इस शिक्षक सत्यापन प्रथा पर रोक लगाए जाने के संबंध में।

महोदया,

आप कृपया अवगत हो की प्रत्येक वर्ष एम0एड0 संकाय में स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षको का सत्यापन विवि0 के शिक्षा विभाग द्वारा कराया जाता है जिसके लिए सभी एम0एड0 संचालन करने वाले स्ववित्तपोषित संस्थानों को एक निर्धारित तिथि पर विवि0 के शिक्षा विभाग में उपस्थित होने के आदेश देकर बीते 19 वर्ष से यह प्रथा चलाई जा रही है। विवि0 द्वारा शासनादेश संख्या 5125 (1) 70–2–2005 दिनाँक 21.10.2005 का प्रत्येक वर्ष अपने पत्र में उल्लेख करते हुए केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षको की परेड कराई जाती है जो की पूर्णतया उनको अपमानित और द्वेषपूर्ण तरीके से विवि0 का शिक्षा विभाग करता आ रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षको के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ ही उनके वर्ष भर के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड की प्रतिया सत्यापन के समय मांगी जाती है जो की उनकी निजता को प्रभावित करती है लेकिन नियमो को ताक पर रखकर यह सत्यापन का खेल बेरोकटोक जारी है।

"फेडरेशन" ने शिक्षको के बार–बार आधार कार्ड जैसे सवेदनशील प्रपत्र को मांगे जाने को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के समक्ष 24 जून 2023 को अपनी चिंता जाहिर की थी जिस पर प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनाँक 20 जुलाई 2023 के द्वारा आपको नियमो से अवगत कराते हुए कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी थी **(प्रति सलग्न)** लेकिन विवि0 के शिक्षा विभाग में उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिक्षको के बैंक स्टेटमेंट को मांगे जाने के संदर्भ में विवि0 सूचना अधिकार अधिनियम में अपील संख्या एस–10–3490/ए/2020 शशांक सिंह बनाम जन सूचना अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ में आयोग के आदेश दिनाँक 10.02.2022 में भी माना है की शिक्षकों के बैंक स्टेटमेंट लिए जाने का शासन का कोई आदेश नहीं है और यह विवि0 की अपनी व्यवस्था है जिस पर आयोग ने अपने आदेश में भी स्पष्ट उल्लेखित किया है की बैंक स्टेटमेंट लिए जाने से शिक्षको की

Website : www.sfcf.in I Email : sfcf2023@gmail.com I Mob. 8954-89-1289, 9997-70-8995

Scanned with OKEN Scanner

निजता प्रभावित होती है और विवि को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए (प्रति सलग्न) लेकिन विवि0 के शिक्षा विभाग में सत्यापन के नाम पर शिक्षको के आर्थिक डेटा को लिया जाता है और इससे खुलेआम उनकी निजता प्रभावित होती है।

विवि0 की यह नीति केवल और केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए ही लागू की जा रही है जो की न्यायसंगत नहीं है। **विवि0 द्वारा सत्यापन के समय अगर किसी भी स्ववित्तपोषित संस्थान में एक भी शिक्षक मानक से कम है तो उसको काउन्सलिंग में सम्मलित नहीं करता यहै वही सहायता प्राप्त/ राजकीय महाविद्यालय और विवि परिसर जिनमे एम एड पाठ्यक्रम संचालित है के लिए यह नियम लागू नहीं है जिससे प्रतीत होता है की स्ववित्तपोषित संस्थानों के शोषण करने और अप्रत्यक्ष लाभ पाने के उद्देश्य से इस तरह से सत्यापन का खेल संचालित किया जा रहा है। सहायता प्राप्त/राजकीय महाविद्यालय और विवि0 परिसर जिनमे एम0एड0 पाठ्यक्रम संचालित है उनमे मानकों के अनुसार शिक्षक पूर्ण ही नहीं है लेकिन उनको प्रतिवर्ष काउन्सलिंग में भी प्रतिभाग भी कराया जा रहा है और छात्र भी आवंटित किये जा रहे है जबकि कई स्ववित्तपोषित संस्थानों में छोटी छोटी कमियों का आधार बनाकर और एक भी शिक्षक की कमी होने पर उनको कॉउंसलिंग से बाहर किया जा रहा है जिससे विवि की नीति ना तो सभी संस्थानों के प्रति पारदर्शी है और ना ही समान है।**

शिक्षको की आवश्यकता स्ववित्तपोषित संस्थानों में अगर है तो क्या सहायता प्राप्त/राजकीय महाविद्यालय के लिए एम0एड0 पाठ्यक्रम में शिक्षक की पूर्ण उपलब्धता आवश्यक नहीं है और अगर है तो फिर एम0एड0 पाठ्यक्रम में अधूरे शिक्षको के बाद भी छात्रों का आवंटन इनको किस आधार पर होता आ रहा है यह सोचिनीय है। स्ववित्तपोषित संस्थानों में विवि0 द्वारा ही शिक्षको को अनुमोदन प्रदान किया जाता है और फिर उन्ही शिक्षकों को सत्यापन लिए प्रत्येक वर्ष विवि0 बुलाया जाता है जबकि विवि0 कभी भी यह प्रक्रिया सहायता प्राप्त/राजकीय महाविद्यालय एवं विवि परिसर के एम0एड0 के शिक्षको के साथ नहीं करता है जिससे स्पष्ट समझा जा सकता है की विवि0 की यह प्रक्रिया कितनी नैसर्गिक और समानुपातिक है।

अतः इस सत्यापन की आड़ में स्ववित्तपोषित संस्थानों और उनके शिक्षको का शोषण रोकते हुए उनकी निजता प्रभावित नहीं हो इसके लिए शासनादेश संख्या 5125(1) 70–2–2005 दिनाँक 21.10.2005 पर सामान नीति अपनाये जाने की आवश्यकता है, "फेडरेशन" आपसे अनुरोध करती है की जब विवि0 द्वारा ही शिक्षको का अनुमोदन जारी किया जा रहा है तो प्रत्येक वर्ष सत्यापन के नाम पर हो रहे इस शोषण को बंद कराते हुए अपने अधीनस्थों को निर्देशित करने की कृपा करे।

सादर

(नितिन यादव)	प्रो0 (डॉ0) निधि शुक्ला	प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	महासचिव

पत्र फेडरेशन की अधिकृत वेबसाइट www.sfcf.in पर SFCF Desk में भी अपलोड है।

पत्र की आधिकारिक पुष्टि वेबसाइट से की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner